न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

करण संख्या :– 101/2020/दावा/बउनवान/बजरंग लाल बनाम दाखा बाई वगै0

सीएमएस संख्या 2020/00131

1. बजरंगलाल पुत्र धन्नालाल जाति कीर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
2. मदनलाल (मृतक) पुत्र धन्नालाल जाति कीर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
   2/1 महावीर } पुत्रान मदनलाल जाति कीर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
   2/2 राकेश }
3. सौभागमल पुत्र धन्नालाल जातियान कीर निवासीगण सोनवां तह. मांगरोल

.....वादीगण

बनाम

1. दाखाबाई पुत्री रामा पत्नि पन्नालाल कीर निवासी दीगोद हाल निवासी रोड़ गंज तह. पीपल्दा जिला कोटा
   1/1 लटूर लाल पुत्र पन्ना जाति कीर निवासी रोड गंज तह. पीपल्दा जिला कोटा
2. भीमराज पुत्र
3. रामेश्वर पुत्र
4. चमेली बाई पुत्री
5. कैलाशी बाई पुत्री
6. अनार बाई पुत्री

   } हीरालाल जाति कीर निवासी कीरपुरा तहसील अटरू

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी.एक्ट.

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 01.11.2013 **निर्णय दिनांक : 17.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की ाराजी जमाबन्दी 2066–69 में आराजी खसरा नं. 248 रकबा 0.57 है0, खसरा नं. 365 रकबा .29 है0, कुल किता 2 रकबा 1.86 है0, स्थित है, जिसको आगे वाद पत्र में विवादित ाराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। रामाजी वादीगण के दादाजी के बडे भाई थे नके दो पत्नियां अमरी व नन्दूबाई थी। अमरी की पुत्री दाखा बाई प्रतिवादी क्रम 1 हुई तथा न्दू की पुत्री सुन्दर हुई, सुन्दर का भी देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 सके वारिसान एवं कायम मुकामान है। रामाजी के पुत्र नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपने ाई बालाजी के पुत्र धन्नाजी जो वादीगण के पिता हैं को गोद लिया जब से ही धन्नाजी ामाजी के साथ रहे तथा रामाजी की अवेर–सवेर व अमरी तथा नन्दू की अवेर–सवेर भी ादीगण के पिता धन्नाजी द्वारा ही की गई तथा रामाजी के मरने के बाद उनकी पाग भी न्नाजी को बंधवाई गई इस प्रकार रामाजी का एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी वादीगण के ता धन्नाजी थे तथा धन्नाजी द्वारा ही रामाजी के जीवनकाल से ही ग्राम सोनवां की ाराजीयात को आज तक काश्त किया जाता रहा है। धन्नाजी के मरने के बाद वादीगण का िरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार रामाजी के खाते एवं कब्जे–काश्त की ाराजीयात के एक मात्र वारिस धन्ना जी थे तथा धन्ना जी द्वारा ही काफी धन व श्रम खर्च र उक्त आराजी को काबिज काश्त बनाया है। धन्ना जी का देहान्त होने के बाद से ही क्त आराजीयात को वादीगण निरन्तर रूप से बेरोकटोक काश्त करते चले आ रहे हैं। इस

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रकार धन्ना जी का कब्जा सम्वत् 2005 के पूर्व से ही चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से ही वादीगण के पिता धन्ना जी का कब्जा काश्त होने के आधार पर भी धन्ना जी स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुके थे। इस प्रकार 15.10.1955 के पूर्व के कब्जे के आधार पर भी वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व व रामाजी के जीवनकाल से ही धन्ना जी द्वारा काश्त की जाती रही है तथा द्वितीय सैटलमेंट सम्वत् 2044–63 के किता 2 पर रामाजी के देहान्त के बाद से ही धन्ना जी का तथा धन्ना जी के देहान्त के बाद से वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार जायज अर्सा 70 वर्ष से अधिक का कब्जा होने के आधार पर भी वादीगण खातेदार कृषक हो चुके हैं। इस प्रकार वादीगण अपने पिता धन्ना जी के जीवन काल से ही राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से ही कब्जा काश्त होने के आधार पर स्वतः ही खातेदार हो चुके है। इस आधार पर भी वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है।

रामाजी के देहान्त के बाद सहवन से सुन्दर बेटी नन्दू व दाखा बेटी अमरी का नाम दर्ज हुआ जिसमें से सुन्दर का देहान्त हो चुका है, दाखा बाई मौजूद है। दाखा बाई ने भी वादीगण के पिता धन्ना जी को गोद लेना स्वीकार किया हुआ है। इस प्रकार रामाजी की आराजीयातों के एक मात्र वैधानिक उत्तराधिकारी धन्नाजी थे तथा धन्नाजी के देहान्त के बाद वादीगण ही है। इसलिए ग्राम सोनवां की आराजी को वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। प्रथम सैटलमेंट सम्वत् 2014–2023 में भी सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से दाखा बाई व सुन्दर बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया जो सुसराल में निवास करती है। द्वितीय सैटलमेंट सम्वत् 2044–2063 में भी सैटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से सुन्दर बाई व दाखा बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है जबकि जायज अर्सा 70 वर्ष से ही धन्नाजी व उनके देहान्त के बाद वादीगण का ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है फिर भी वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित नहीं करने की भारी भूल की गई है जिसको सही करवाने का वादीगण अधिकारी एवं नालिशी है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सोनवां की आराजी खसरा नं. 248 रकबा 0.57 है0, व खसरा नं. 365 रकबा 1.29 है0, का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दे अन्य सहायता जो न्यायोचित ही प्रदान की जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिसटर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण बावजूद अखबारसाया तलबी अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2016 को वाद खारिज करने के उपरान्त वादीगण द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.06.2016 की अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 23.09.2019 से इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 अपास्त किया गया एवं मूल पत्रावली इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया जावे।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर जरिये अखबार साया प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

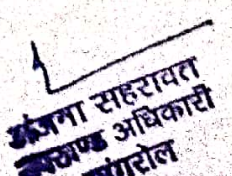

Scanned by CamScanner

वकील वादी द्वारा वादी बंजरगलाल के बयान लेखबद्ध किये जो शामिल पत्रावली किये। वकील वादी द्वारा पूर्व में पेश किए गए दस्तावेजों को ही पुनः स्पेसिफिकेशन के साथ प्रदर्शित कराया।

तनकीयात पुनः नियमानुसार कायम की गई :–

1. आया रामा जी के काई पुत्र नहीं होने से रामा जी ने अपने भाई बाला जी के पुत्र धन्ना को गोद पुत्र बना लिया, और मृत्यु के पूर्व व मृत्यु के बाद रामा जी के सभी काम बाला जी द्वारा किऐ गये। (वादी)
2. आया राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व सम्वत् 2005 से आराजी पर धन्नालाल जी काबिज काश्त थे, और धन्ना जी की मृत्यु होने पर वादीगण निरन्तर काबिज काश्त होने से खातेदार कृषक हो गये है। (वादी)
3. आया वाद पत्र में वर्णित आराजी पर खसरा गिरदावरी सम्वत् 2005 से 2028 तक कब्जा काश्त वादीगण के पिता धन्नालाल दर्ज है, एवं टीनेन्ट के रूप में भी धन्नालाल का नाम दर्ज हो रहा है। (वादीगण)
4. आया प्रतिवादनी दाखा बाई ने वादीगण के पिता धन्नालाल को गोद पुत्र मानकर आराजी खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। (वादीगण)
5. अनुतोष

वादी ने PW-1 बजरंगलाल, PW-2 मदनलाल , PW-3 शोभागमल, PW-4 रामनाथ, PW-5 गभूलाल, PW-6 प्रहलाद, PW-7 रामनिवास, PW-8 रामेश्वर को परीक्षित कराया।

प्रदर्श 1 से 31 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराए जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

प्रदर्श 1 :– नकल जमाबंदी संवत् 2066–69 ग्राम सोनवा
प्रदर्श 2 :– नक्शा ट्रेस ग्राम सोनवा
प्रदर्श 3 :– नकल जमाबंदी ग्राम सोनवा संवत् 2036–39
प्रदर्श 4 :– मिलान क्षेत्रफल संवत् 2059–63 ग्राम सोनवा
प्रदर्श 5 :– मिलान क्षेत्रफल ग्राम सोनवां संवत् 2014–23
प्रदर्श 6 :– इंतकाल नं. 1085 ग्राम सोनवां
प्रदर्श 7 :– मानचित्र ग्राम सोनवा सन् 1981–82 खसरा नं. 245, 365
प्रदर्श 8 :– नकल जमाबंदी संवत् 2005–08(जैली धन्ना)कीर
प्रदर्श 9 :– खसरा गिरदावरी संवत् 2015–18 जैली धन्ना कीर
प्रदर्श 10 :– खसरा गिरदावरी संवत् 2019–22 जैली धन्ना कीर
प्रदर्श 11 :– खसरा गिरदावरी संवत् 2021–24 सबटीनेन्ट देवा वगै0
प्रदर्श 12 :– नकल जमाबंदी संवत् 2025–28 सबटीनेन्ट देवा व धन्ना
प्रदर्श 13 :– नकल जमाबंदी संवत् 2044–63 सबटीनेन्ट देवा व धन्ना
प्रदर्श 14 :– खसरा गिरदावरी संवत् 2017–20
प्रदर्श 15 :– खसरा गिरदावरी संवत् 2017–20
प्रदर्श 16 :– जमाबंदी संवत् 2014–23
प्रदर्श 17 :– मृत्यु प्रमाण पत्र– सुन्दर बाई मृत्यु 25/9/1993
प्रदर्श 18 :– नोटिस 80 सीपीसी
प्रदर्श 19 :– शपथ पत्र दाखा बाई
प्रदर्श 20 से 31 :– रसीदें कर्ता–पिलाई

वादग्रस्त आराजी में जमाबंदी संवत् 2000–05, 2022–25, 2015–18 एवं 2019–22 में ना कीर जैली एवं सबटीनेन्ट दर्ज है।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं स्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन किया एवं गहनता से मनन किया गया। कीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है:–

1. आया रामा जी के काई पुत्र नहीं होने से रामा जी ने अपने भाई बाला जी के पुत्र धन्ना को गोद पुत्र बना लिया, और मृत्यु के पूर्व व मृत्यु के बाद रामा जी के सभी काम

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बाला जी द्वारा किऐ गये।(वादी) :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–8 तक कराए गए बयानों से धन्ना को गोद पुत्र साबित किया है साथ ही रामाजी की एक मात्र जीवित पुत्री दाखा बाई ने भी अपने शपथ पत्र से धन्ना को रामा जी का गोदपुत्र स्वीकार किया है। अतः उक्त तनकी से धन्ना बखूबी रामा जी का गोद पुत्र साबित है। उक्त तनकी बहक वादीगण एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

2. आया राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व सम्वत् 2005 से आराजी पर धन्नालाल जी काबिज काश्त थे, और धन्ना जी की मृत्यु होने पर वादीगण निरन्तर काबिज काश्त होने से खातेदार कृषक हो गये है। (वादी) :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी के पक्ष में वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। प्रदर्श 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 से उक्त तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध होती है। सम्वत् 2005 की जमाबंदी से धन्ना कीर जैली के रूप में दर्ज है। कोटा स्टेट सर्कुलर की धारा 69 से 91 एवं माननीय राजस्व मण्डल की नजीर 2003 पेज 867 मथुरालाल बनाम चंद्रकलां तथा RRD 1994 पेज 1 के संयुक्त अध्ययन से कोटा स्टेट के लिए जैली को उपकृषक माना गया है अतः विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार भी सम्वत् 2005 में जैली एव तदुपरांत लगातार सबटीनेन्ट दर्ज होने के कारण तथा कर्ता पिलाई की रसीद पेश करने से भी वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा सिद्ध होता है। सम्वत् 2005 में जैली दर्ज होने के कारण धन्ना कीर अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारों की धोषणा करा सकने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी भी बहक वादीगण व विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

3. आया वाद पत्र में वर्णित आराजी पर खसरा गिरदावरी सम्वत् 2005 से 2028 तक कब्जा काश्त वादीगण के पिता धन्नालाल दर्ज है, एवं टीनेन्ट के रूप में भी धन्नालाल का नाम दर्ज हो रहा है।(वादीगण) :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादी द्वारा उक्त तनकी के पक्ष में प्रदर्श 8 से 31 तक जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व कर्ता पिलाई की रसीदें पेश की है। इस प्रकार उक्त तनकी भी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

4. आया प्रतिवादनी दाखा बाई ने वादीगण के पिता धन्नालाल को गोद पुत्र मानकर आराजी खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। (वादीगण):– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादी द्वारा उक्त तनकी के पक्ष में दाखाबाई का शपथपत्र प्रदर्श 19 प्रदर्शित कराया है जो नोटेरी से तस्दीक है। प्रतिवादीगण दो बार अखबार साया सूचना के पश्चात भी अनुपस्थित रहे हैं जिससे भी प्रतीत होता है कि वे वादग्रस्त आराजी पर अपना स्वत्व नहीं मानते हैं। इस प्रकार उक्त तनकी भी बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

इस प्रकार उक्तानुसार तनकीवार विवेचन से यह सिद्ध है कि वादीगण के पिता नालाल कीर वादग्रस्त आराजी पर संवत 2005 से ही बतौर जैली/सबटीनेन्ट काबिज काश्त माननीय राजस्व मंडल के निर्णय RRD 2003 पेज 362 मथुरालाल बनाम चंद्रकला तथा टा स्टेट सर्कुलर की धारा 69 से 91 के संयुक्त अध्ययन से भी कोटा स्टेट के लिए जैली सबटीनेन्ट माना गया है। काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–19 के मुताबिक संवत)5 में जिस आराजी पर काबिज का उस पर उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने थे। प्रकार वाद ग्रस्त आराजी पर वादीगण के पिता स्वतः खातेदार कृषक हो गए थे। प्रदर्श 6 काल नं. 1058 दिनांक 28.03.1948 से यह स्पष्ट है कि रामाजी की मृत्यु वर्ष 1956 से पूर्व चुकी थी एवं धन्नालाल,रामाजी का गोदपुत्र था। पुराने हिन्दू अधिनियम के अनुसार भी पुत्र रहते पुत्रियों को साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, इसलिए तत्समय रामाजी के क पुत्र के होते हुए भी पुत्रियों के पक्ष में खोला गया नामांतरण संख्या 1058 दिनांक 28. 1948 वादीगण के हकों तक बेअसर है। वादीगण द्वारा प्रदर्श कराए गए दस्तावेजात प्रदर्श

Scanned by CamScanner

1 ता 31 एवं साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 8 के आधार पर वादीगण के पिता धन्नालाल रामाजी के गोदपुत्र साबित है तथा संवत् 2005 से लगातार अद्यतन वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। सम्वत् 2005 में जैली/उपकृषक के रूप में तथा लगातार अद्यतन वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी होने से तथा पुराने हिन्दू अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्र के रहते पुत्रियों के खातेदारी अधिकार सृजित नही होने से वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सम्वत् 2005 में जैली/उपकृषक के रूप में तथा लगातार अद्यतन वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी होने से तथा पुराने हिन्दू अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्र के रहते पुत्रियों के खातेदारी अधिकार सृजित नही होने से वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सोनवा की आराजी खसरा न. 248 रकबा 0.57 है0 व खसरा नं. 365 रकबा 1.29 है. कुल किता 2 रकबा 1.86 है0 में से प्रतिवादीगण का नाम डिलीट कर वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। उक्त आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner